Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to make penal provisions in the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 more stringent-laid.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): मैं एक महत्वपूर्ण विषय सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ जोकि पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में दण्डात्मक प्रावधानों को बढ़ाने के संबंध में है । पशुओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का निर्माण संसद द्वारा किया गया था । पशुओं के हितों की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम ने विगत 6 दशकों तक अपने निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप कार्य किया परंतु इस अधिनियम में तब से लेकर अब तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया है जिसके कारण इसके दंडात्मक प्रावधान पशु हितों की रक्षा करने में अक्षम हो चले हैं तथा पशु क्रूरता रोकने में अपर्याप्त साबित हो रहे हैं ।

अतः, अधिनियम में इसके सृजन के समय पशु क्रूरता को किसी प्रकार से चोट पहुंचना उनके साथ हिंसा करने, उनको लड़ाई के लिए उकसाना इत्यादि में 50रु. से 100रु. के दण्ड तक वर्तमान समय में लागू है । अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि पशु क्रूरता अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधानों को और कठोर बनाने के लिए तथा जुर्माने की धनराशि 50/100 रु. से बढ़ाकर 5000रु. या 8000 रु. करने की कृपा करे ।